International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
April- 2020, Volume-7, Issue-2
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की स्थिति पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Mr. Kehar Singh
Ph.D. Scholar
Department of political science
Malwanchal University Indore, (M.P.).

Dr. Manoj Kumar
Supervisor
Department of political science
Malwanchal University Indore, (M.P.).

सार

गौरतलब है कि बीते दिनों संविधान दिवस के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेवा और कर्तव्यों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों के महत्त्व पर जोर दिया।

भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों के लिए तैयार किया गया भारत का संविधान एक महान दस्तावेज है। अलग–अलग भाषा बोलने वाले और अलग–अलग धर्म को मानने वाले विविध लोगों के साथ सबसे लंबी आबादी होने के अलावा, संविधान अद्वितीय है। हमारे संविधान के मसौदे के पीछे यह विचार था कि संविधान को विकसित होना चाहिए और इसे व्यापक सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से आम आदमी की समानता और उसकी एकता के साथ आम आदमी की समानता में सुधार करना। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके बेहतर निर्वहन के लिये मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है वहीं राज्य की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की भी अपेक्षा करता है। ऐसा लगता है कि संविधान के संस्थापकों ने यह मान लिया है कि एक आदमी को होना जागरूक अपने कर्तव्यों का जैसा वे हैं बस बुनियादी मानवीय कर्तव्य जिन्हें बताया जाना आवश्यक नहीं है और जिनका पालन करने के लिए निश्चित रूप से लिखा नहीं गया है। हालाँकि, समय बीतने के साथ,

गिरावट मूल्यों का, विशेष रूप से मूल्यों में सार्वजनिक जीवन स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया और राष्ट्र को इसकी आवश्यकता महसूस हुई संशोधन करें संविधान और इन मूल्यों को विशेष रूप से प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के रूप में शामिल करें।

प्रमुख शब्दः कर्तव्य, आवश्यक और संशोधन।

प्रस्तावना

भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों के लिए तैयार किया गया भारत का संविधान एक महान दस्तावेज है। अलग–अलग भाषा बोलने वाले और अलग–अलग धर्म को मानने वाले विविध लोगों के साथ सबसे लंबी आबादी होने के अलावा, संविधान अद्वितीय है। हमारे संविधान के मसौदे के पीछे यह विचार था कि संविधान को विकसित होना चाहिए और इसे व्यापक सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से आम आदमी की समानता और उसकी एकता के साथ आम आदमी की समानता में सुधार करना। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके बेहतर निर्वहन के लिये मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है वहीं राज्य की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की भी अपेक्षा करता है। गौरतलब है कि बीते दिनों संविधान दिवस के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेवा और कर्तव्यों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों के महत्त्व पर जोर दिया।

संभावना है कि दायित्व और अधिकार एक साथ चलते हैं और कोई व्यक्ति अपने आप को प्रतिबद्धताओं के लिए उत्तरदायी होने की अनुमति दिए बिना अधिकारों की सराहना करने की उम्मीद नहीं कर सकता है, भारत में राजनीतिक रिवाज का एक हिस्सा है, जहां कर्तव्य के बारे में सोचा गया है , चाहे राजधमा के प्रजा के स्वामी या उसके समान धर्म ने अधिकार (दाएं) के विचार को

प्रभावित किया। इस तरह जीने के लिए असाधारण आदर्श हमारे पास जमा हो जाता है', गांधी ने कहा, 'जब हम दुनिया के लिए नागरिकता की जिम्मेदारी निभाते हैं।

कर्तव्य की अवधारणा

- भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ प्राचीन काल से लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा मौजूद थी। प्रख्यात इतिहासकार के. पी. जायसवाल के अनुसार प्राचीन भारत में गणतंत्र की अवधारणा रोमन या ग्रीक गणतंत्र प्रणाली से भी पुरानी है।
- इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसी प्राचीन अवधारणा में भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप की कहानी छिपी हुई है।
- प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है और व्यक्ति के "कर्तव्यों" पर जोर दिया जाता रहा है।
- भगवद्गीता और रामायण भी लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रेरित करती है, जैसाकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को ''फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिये।''
- गांधी जी का विचार था कि "हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।"

महत्वपूर्ण अधिकार – प्रकृति और दायराः

प्रत्येक व्यक्ति की सबसे आदर्श उन्नति के लिए परिस्थितियाँ बनाने के लिए एक स्वतंत्र और सुसंस्कृत समाज में कुछ मौलिक अधिकारों की उपस्थिति आवश्यक है। ये अधिकार सार्वजनिक गतिविधि के उन राज्यों के अलावा और कुछ नहीं हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति यह नहीं देख सकता है कि उसमें सबसे अच्छा क्या है। अधिकार या तो वैधानिक या पवित्र हो सकते हैं। उस बिंदु पर जब एक सामान्य परंपरा में एक विशेषाधिकार का आदेश दिया जाता है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

साहित्य की समीक्षा

(सीआर ईरानी, 2001) ने अध्ययन किया कि नागरिकों के अधिकारों पर उनके कर्तव्यों के मुकाबले कुछ अधिक जोर दिया गया है, हालांकि सदियों से भारतीय विचारों की परंपराओं और स्वभाव ने कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया है। दरअसल अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर अधिकार के लिए एक समान कर्तव्य है। अधिकारों का प्रवाह केवल अच्छे ढंग से किए गए कर्तव्यों से ही होता है। कर्तव्य अधिकार का एक अविभाज्य अंग हैः एक के लिए कर्तव्य दूसरे व्यक्ति का अधिकार है और मानव जीवन का सम्मान करना है न कि किसी अन्य व्यक्ति को घायल करना।

(वर्ष 2002 में भारत के संविधान में संशोधन, 2002) ने कहा कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51ए भाग 4ए के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। प्रारंभ में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान का हिस्सा नहीं थे। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर (अब रूस) के संविधान से प्रेरित थे। मूल रूप से संख्या में दस, 2002 में 86 वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर ग्यारह कर दिया गया, जिसने प्रत्येक माता–पिता या अभिभावक पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य जोड़ा कि उनके बच्चे या वार्ड को छह और चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए थे।

(सेवा, 2009) अध्ययन से पता चला कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित और अविभाज्य हैं मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं। दूसरे शब्दों में, संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना आवश्यक नहीं समझा। हालांकि, उन्होंने राज्य की राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के रूप में संविधान में राज्य के कर्तव्यों को शामिल किया।

(सेठी, 2009) ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे कई कारक हैं जो कर्तव्यों की प्रगति को बाधित करते हैं। ये मूल्यों की कमी, शिक्षा, गरीबी और भ्रष्टाचार हैं और इनसे युद्ध स्तर पर निपटने की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों के सामाजिक नजरिए को बदलना होगा। माता–पिता, शिक्षक, सिविल सेवक,

पेशेवर और न्याय के प्रशासन में लगे लोगों को रोल मॉडल के रूप में कार्य करना होगा ताकि लोग उनसे कर्तव्य की अवधारणा सीख सकें और उसे आत्मसात कर सकें। यह एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे स्वयं लोगों द्वारा उठाया जाना है। संविधान में प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्य कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

(कोश, 2009) ने सुझाव दिया कि मौलिक कर्तव्य एक ऐसी धारणा है जो किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति नैतिक दायित्व और प्रतिबद्धता की भावना व्यक्त करती है। लोगों को दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए अर्थात् अपने परिवार, कार्य स्थान और अंततः आधुनिक राज्य के प्रति कर्तव्य। प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसरो भी अपने काम 'डी ऑफिसिस' (ड्यूटी पर) में कर्तव्य की चर्चा करते हैं, जहां उनका मानना है कि कर्तव्य चार अलग–अलग स्रोतों से आ सकते हैं। ज्ञान, न्याय, साहस और संयम। इस प्रकार, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं।

(दीक्षा, 2009) ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि हमारे संविधान में 42वें संशोधन तक मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं था। इसके कई कारण हो सकते हैं और उनमें से सबसे उपयुक्त यह प्रतीत होता है कि जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब अधिकारों पर जोर दिया गया था क्योंकि भारतीय औपनिवेशिक दमन के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और इस प्रकार, उनकी रक्षा के लिए उत्सुक थे। कर्तव्यों को हल्के में लिया गया क्योंकि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सभी लोगों में निश्चित रूप से उस स्तर की परिपक्वता थी।

(एमपी सिंह, 2010) ने निष्कर्ष निकाला कि कैसे मौलिक कर्तव्य शुरू में मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में 42 वें संशोधन के माध्यम से पेश किए गए, जिसने आपातकाल की अवधि के दौरान पूरे संविधान में संशोधन किया। उन्होंने बताया कि कैसे उदार संविधानों ने पहले केवल मौलिक अधिकारों को अनिवार्य किया था। इसके अलावा, भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कैसे शामिल किया गया और आपातकाल के बाद 44 वें संशोधन के बाद उन्हें क्यों बरकरार रखा गया, इस पर विस्तार से बताया गया। जबकि कुछ संशोधनों को 42वें संशोधन से हटा दिया गया था और 44वें मौलिक कर्तव्यों में बरकरार नहीं रखा गया था, संशोधित संविधान का हिस्सा बने रहे।

(सुवर्णखंडी, 2010) ने वर्णन किया कि संविधान के कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हुए लेकिन संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान के ''प्रारंभ की तिथि'' के रूप में संदर्भित किया जाता है, और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान अपनी सामग्री और भावना में अद्वितीय है। दुनिया के लगभग हर संविधान से उधार लेकर, भारत के संविधान में कई मुख्य विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं। सामाजिक न्याय जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेद के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है।

(लोक सभा सचिवालय संसद पुस्तकालय और संदर्भ, 2011) अध्ययन से पता चला कि 'संविधान' शब्द फ्रांसीसी मूल का है जो आमतौर पर विनियमन और आदेशों के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी देश का संविधान अधिक अधिकार और पवित्रता के साथ देश का मौलिक कानून होता है। यह न केवल राज्य के मूल सिद्धांतों, शासन की संरचनाओं और प्रक्रियाओं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है।

संचालन अवलोकन

संचालन प्रणाली इस कहावत पर निर्भर करती है कि मौलिक कर्तव्यों को जारी करने के लिए, प्रत्येक मूल निवासी पर है और अन्य लोगों को मौलिक कर्तव्यों को दिखाने के लिए उच्च मान्यता या बेहतर विशेषज्ञ वाला कोई नहीं है, जिन्हें अकेले इन गुणों को सोखने और खेलने की आवश्यकता हो सकती है।

'ऑपरेशनलाइजेशन' शब्द विशिष्ट इच्छाओं के प्रति कर्तव्य मुक्त करने की गतिविधि को इंगित करता है। किसी व्यक्ति की पहचान के एक आवश्यक हिस्से के रूप में दायित्व के विचार को व्यक्ति के अंदर की गहरी चिंताओं से बाहर निकलना चाहिए ताकि वह सामाजिक ढांचे के प्रति कुछ प्रतिबद्धताओं और कर्तव्यों को छोड़ सके जिसमें वह रहता है। दायित्व जागरूकता एक संयम और एक सम्मान है। सही सम्मान को जानने और उसे अपने आचरण में छिपाने के द्वारा दिखाने के बीच कोई विभाजन

नहीं होना चाहिए। यह इस सेटिंग में अक्सर कहा जाता है कि गुण प्राप्त होते हैं और निर्देश नहीं दिए जाते हैं और अच्छे उदाहरणों का सम्मान संचारित करने में असाधारण महत्व होता है।

लोगों द्वारा दायित्वों को सामाजिक ढांचे और उस धरती के निर्देशों के कारण देखा जाता है जिसमें कोई रहता है, अच्छे उदाहरणों से प्रभावित होता है, या कानून की सुधारात्मक व्यवस्था के आधार पर। निवासियों द्वारा प्रतिबद्धताओं के अनुपालन की आवश्यकता के लिए जहां भी महत्वपूर्ण हो, उचित अधिनियमन को अधिकृत करना महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि मौजूदा कानूनों में आवश्यक आदेश को अधिकृत करने की कमी है, तो आधिकारिक शून्य को भर दिया जाना चाहिए। ''यदि अधिनियमन और कानूनी शीर्षक सुलभ हैं और फिर भी निवासियों द्वारा मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है, तो यह उन्हें चालू करने के लिए विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होगी''।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षाः

भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का ब्रिटिश राज से स्वराज तक एक लंबा इतिहास रहा है। स्वायत्तता के बाद, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तक सीमित है। भारत में शासी निकाय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आदर्श के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। यह भारतीय कानूनी कार्यपालिका है जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकास के लिए काफी हद तक जोड़ा। भारतीय संविधान में समेकित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार के लिए, इंग्लैंड और अमेरिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जांच मौलिक है।

किसी भी कॉलिंग का पूर्वाभ्यास करने और किसी भी व्यवसाय, विनिमय या व्यवसाय को पूरा करने के लिए उपयुक्तः

अनुच्छेद 19(1)(जी) सभी निवासियों को किसी भी बुलावे का पूर्वाभ्यास करने या अनुच्छेद 16 के खंड (6) के तहत राज्य द्वारा समझदार कारावास के अधीन किसी भी व्यवसाय, विनिमय या व्यवसाय को जारी रखने का विशेषाधिकार का आश्वासन देता है।

इंग्लैंड में व्यक्तिगत स्वतंत्रता:

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे समयनिष्ठ दावा मैग्ना कार्टा के डिक्री में पाया जाता है, जो है ''किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, संक्रमित, प्रतिबंधित, निष्कासित, या किसी भी क्षमता में मिटाया नहीं जाएगा, हम उसके खिलाफ जारी नहीं रखेंगे या उसे आरोपित नहीं करेंगे, इसके अपवाद के साथ अपने दोस्तों के वैध न्यायाधीशों द्वारा और उस परंपरा द्वारा जिसका पालन किया जाना चाहिए (खंड 39, मैग्ना कार्टा एडी 1215) अधिकार, 1628 के अनुरोध में निरोध और कारावास से अवसर के हित पर जोर दिया गया था।

उपसंहार

अनुच्छेद 51ए के दस प्रावधानों में से पांच निश्चित दायित्व हैं और अन्य पांच नकारात्मक दायित्व हैं। प्रावधान (बी), (डी), (एफ), (एच) और (जे) मूल निवासी को इन मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने की आवश्यकता है।

ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रवृत्ति से मौलिक कर्तव्यों का पालन करना व्यावहारिक नहीं है और उन्हें मूल निवासियों की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जैसा कि हो सकता है, खुले कार्यालय रखने वाले निवासियों के कारण, प्रत्येक एक मौलिक कर्तव्य को उचित अधिनियमन और नेतृत्व के विभागीय दिशानिर्देशों द्वारा बनाए रखा जा सकता है।

प्रत्येक मौलिक कर्तव्य के संबंध में पर्ची देने के लिए प्राधिकरण दिए जा सकते हैं और खुले कार्यालय वाले प्रत्येक निवासी के खिलाफ सहमति को बनाए रखना बहुत व्यावहारिक है उदाहरण के लिए, विभागीय प्रगति को स्वीकार किया जा सकता है, वृद्धि को बरकरार रखा जा सकता है, आदि। यदि कोई अधिकारी हड़ताल में भाग लेता है या अपनी नींव की प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, तो उसे उस दिन के वेतन को त्यागने के लिए कहा जा सकता है।

इसी तरह, अनुमोदन को कुशल निकायों को समायोजित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, और आगे।

यह कहना फिर कभी सही नहीं है कि अनुच्छेद 51ए में प्रतिष्ठित मौलिक कर्तव्य हैं उनके निष्पादन की गारंटी के लिए लागू करने योग्य नहीं हैं और एक मामूली अद्यतन हैं।

संदर्भः

1. डॉ व्लादिमीर, वीएफ (1967)। कोई शीर्षक नहीं कोई शीर्षक नहीं कोई शीर्षक नहीं। गैस्ट्रोनोमिया इक्वेटोरियाना और टूरिस्मो लोकल। , 1 (69), 5–24।
2. भारतीय संविधान में कर्तव्य । (2016)।
3. मौलिक कर्तव्यः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51–ए, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा और आवश्यकता, मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन और कार्यान्वयन मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता परिचय । (2011)।
4. हैमरबर्ग, टी। (1998)। मानवाधिकार और कर्तव्य। मीडिया एशिया , 25 (4), 186–187।
5. आईईए. (2011)। अध्याय माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग कर एक स्वचालित सिंचाई प्रणाली , 1908 (जनवरी), 2–6।
6. भारत। जेएस वर्मा (1999)। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य । अक्टूबर ।
7. के.सीता (2012) भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य।
8. कौर, जी।, और अध्ययन, ई। (2011)। मौलिक कर्तव्यों पर संवेदना और संवेदनशीलताः मौलिक कर्तव्यों पर भारतीय भावना और संवेदनशीलता पर एक सर्वेक्षणः जुलाई ।
9. कौल आरएल य कौल मेनाक्षी। (1960)। मौलिक कर्तव्यों के न्यायशास्त्रीय पहलू और उनकी प्रवर्तनीयताः एक अध्ययन। भारतीय विद्या भवन , 38–46।

10. लॉ, टीएस, अम्बेडकर, बीआर, सोशलिस्ट, एस, डेमोक्रेटिक, एस, असेंबली, सी।, डे, सी।, डे, आर।, और रिपब्लिक, टी। (1950)। नागरिकों के कर्तव्यों पर विशेष ध्यान देने वाला संविधान । 5–7.
11. लोक सभा सचिवालय संसद पुस्तकालय और संदर्भ, आरडीएआईएस (2011)। भारतीय संविधान– अरबों सपनों का स्रोत कोड ।
12. लुइस, एफ।, और मोनकायो, जी। (2013)। शीर्षक । 13 (3)।